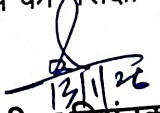


गुरु जंभेश्वर विश्वविद्यालय, मुरादाबाद

परीक्षार्थियों हेतु दिशा-निर्देश

- 1-परीक्षार्थी को सीटिंग प्लान के अनुसार आवंटित सीट पर ही बैठकर अपनी परीक्षा देनी होगी।
- 2-परीक्षा कक्ष, हाल में शांति पूर्वक अपनी परीक्षा देनी होगी।
- 3-परीक्षा के दौरान नकल एवं अनुचित साधनों के प्रयोग की परिधि में आने वाली कोई भी सामग्री परीक्षा केंद्र पर लाना एवं प्रयोग करना पूर्णतः वर्जित है।
- 4-विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों का पूर्णतया पालन करना होगा।
- 5-कक्ष निरीक्षक द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों का पूर्णतया पालन करना होगा।
- 6-परीक्षा देने आते समय अपने साथ परिचय पत्र एवं पहचान पत्र मूल रूप में साथ लाना अनिवार्य है।
- 7-परीक्षा कक्ष में ऐसी कोई गतिविधि अथवा व्यवहार नहीं करेंगे जिससे अन्य परीक्षार्थियों को असुविधा हो।
- 8-परीक्षा कक्ष में बातचीत इशारे अथवा इस प्रकार की कोई भी गतिविधि अथवा व्यवहार नहीं करेंगे।
- 9-परीक्षा कक्ष में शांति बनाए रखने में सहयोग करेंगे।
- 10-विश्वविद्यालय अथवा आंतरिक उड़ाका/सचल दल को बिना किसी बाधा के तलाशी करने देंगे।
- 11-कक्ष निरीक्षक अथवा परीक्षा कार्य में लगे किसी भी स्टाफ के साथ दुर्व्यवहार, बदसलूकी नहीं करेंगे।
- 12-उत्तर पुस्तिका पर दिए गए दिशा-निर्देशों का गहन अध्ययन करेंगे और उनका अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
- 13-उत्तर पुस्तिका पर दी गई समस्त अपेक्षित प्रविष्टियां सही, स्पष्ट, पठनीय रूप से भरेंगे।
- 14-परीक्षा कक्ष, हाल में इधर-उधर चहल कदमी नहीं करेंगे।
- 15-कक्ष निरीक्षक की अनुमति के बिना कक्ष, हाल से बाहर नहीं जाएंगे।
- 16-कक्ष निरीक्षक द्वारा दिए गए समस्त दिशा-निर्देशों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और उनका पालन सुनिश्चित करेंगे।
- 17-उत्तर पुस्तिका को किसी भी प्रकार से क्षति नहीं पहुंचाएंगे।
- 18-परीक्षा समाप्ति पर अपनी उत्तर पुस्तिका कक्ष निरीक्षक को सौंपने एवं अनुमति के उपरान्त ही परीक्षा कक्ष, हाल से बाहर जा सकेंगे।
- 19-परीक्षा समाप्ति के 15 मिनट पूर्व किसी भी दशा में परीक्षा कक्ष, हाल से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी।
- 20-प्रश्न पत्र में दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार ही प्रश्नपत्र हल करेंगे।

- 21-प्रश्न पत्र प्राप्त करने के उपरांत यह सुनिश्चित कर ले कि आपको जो प्रश्न पत्र मिला है, वह सही एवं उचित है। यदि कोई त्रुटि है तो तुरंत कक्ष निरीक्षक को इस संबंध में बताएं।
- 22-उक्त रूप में संतुष्ट होने के उपरांत ही आपको प्राप्त प्रश्न पत्र के प्रथम पेज पर, ऊपर की ओर अपना अनुक्रमांक अनिवार्य रूप से लिख दें।
- 23-प्रश्न पत्र पर अपने अनुक्रमांक के अलावा अन्य कुछ भी लिखना पूर्ण रूप से वर्जित है। यदि ऐसा किया जाता है तो यह नकल की श्रेणी में माना जाएगा।
- 24-परीक्षा कक्ष/हाल में प्रश्न पत्र की अदला-बदली बिल्कुल भी न करें। यदि ऐसा किया जाता है तो यह नकल की श्रेणी में माना जाएगा।
- 25-उत्तर पुस्तिका के जिन पेज पर आपके द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया है उन पेज पर अनिवार्य रूप से पेन से क्रॉस (X)का निशान बना दें।
- 26-उत्तर पुस्तिका प्राप्त करते ही यह चेक कर लें कि आपको प्राप्त उत्तर पुस्तिका में निर्धारित संख्या में पेज है तथा उत्तर पुस्तिका कहीं से भी कटी-फटी हुई नहीं है।
- 27-यदि आपको प्राप्त उत्तर पुस्तिका में निर्धारित संख्या में पेज नहीं हैं अथवा उत्तर पुस्तिका कहीं से भी कटी-फटी हुई है तो इस संबंध में कक्ष निरीक्षक को तुरंत सूचित कर उत्तर पुस्तिका बदलने हेतु निवेदन करें। कक्ष निरीक्षक संतुष्ट होने पर उत्तर पुस्तिका बदलने हेतु आवश्यक कार्रवाई करेगा।
- 28-परीक्षा कक्ष, हाल में उपस्थिति प्रपत्र पर प्रवेश पत्र में दिए गए हस्ताक्षर के अनुरूप/समान अपने हस्ताक्षर करने होंगे।
- 29-कोई शंका अथवा कठिनाई है तो कक्ष निरीक्षक को अपनी बात शालीनता पूर्वक बताएं।
- 30-आवश्यकता होने पर कक्ष निरीक्षक परीक्षार्थी की सीट में परिवर्तन कर सकता है। जिसे परीक्षार्थी को अनिवार्य रूप से स्वीकार करना होगा।
- 31-परीक्षा के दौरान समय का विशेष ध्यान रखें। यदि किसी भी विद्यार्थी को परीक्षार्थी को अलग से कोई समय नहीं दिया जाएगा।
- 32-एक ही कक्षा दो परीक्षार्थियों को एक समय में बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी।
- 33-परीक्षा सम्बन्धी दिशा निर्देशों का परीक्षार्थी को अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। अन्यथा की स्थिति में कठोर एवं दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी। जिनमें निम्नलिखित एवं अन्य कार्यवाही शामिल हैं-**
- i-विश्वविद्यालय की परीक्षा में प्रविष्ट होने की अनुमति वापस ली जा सकती है यदि परीक्षा समिति की अभिमत में परीक्षार्थी का व्यवहार उसके निष्कासन का औचित्य सिद्ध करता हो।
 - ii-दिशा-निर्देशों के उल्लंघन, दुर्व्यवहार के दिन की परीक्षा से वंचित कर दिया जा सकता है
 - iii-यदि उसका दुर्व्यवहार, उल्लंघन बदस्तूर जारी रहता है तो परीक्षा केंद्र अधीक्षक द्वारा उसको शेष परीक्षा से वंचित किया जा सकता है और तत्पश्चात परीक्षा समिति अभ्यर्थी से स्पष्ट कारण प्राप्त करने के बाद समस्त प्रकरणों की प्राप्ति पर अभ्यर्थी की परीक्षा निरस्त करके तथा 1 वर्ष या उससे अधिक वर्ष के लिए विश्वविद्यालय की परीक्षा में बैठने के लिए वंचित कर सकता है।
 - iv-यदि आवश्यक हो तो इसकी रिपोर्ट पुलिस और सहायक कुल सचिव गोपनीय को की जाएगी।


परीक्षा नियंत्रक